प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 27.10.2026

क्राइम ब्रान्च गाजियाबाद द्वारा जुआ खेलने वाले 12 अभियुक्त गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 75,650 रुपये व ताश की गड्डी बरामद।

आज दिनांकः 27.10.2026 को पुलिस आयुक्त गाजियाबाद के निर्देशन में चलाये गये अभियान के तहत थाना नन्दग्राम क्षेत्र में क्राइम ब्रान्च गाजियाबाद द्वारा सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलने वाले 12 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। जिनके कब्जे से 75,650 रु0 नगद व ताश की गड्डी बरामद हुये हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरणः-

1. विकास कुमार पुत्र कृष्णपाल निवासी बोम्बे कालोनी, नन्दग्राम, गाजियाद उम्र 30 वर्ष
2. भोला पुत्र ओमप्रकाश निवासी बारादरी नेहरूनगर, थाना सिहानीगेट गाजियाबाद उम्र 32 वर्ष
3. मोनू पुत्र अशोक निवासी बारादरी नेहरूनगर थाना सिहानीगेट गाजियाबाद उम्र 40 वर्ष
4. निशांत पुत्र बोबी निवासी गली नं0 10, सेवानगर थाना नन्दग्राम गाजियाबाद उम्र 19 वर्ष
5. अनिल कुमार पुत्र हरफूल सिंह निवासी सेवानगर थाना नन्दग्राम गाजियाबाद उम्र 49 वर्ष
6. सुमित पुत्र नरेश निवासी घूकना थाना नन्दग्राम गाजियाबाद उम्र 26 वर्ष
7. आकाश राठी पुत्र सुनील कुमार निवासी गली नं0-5, सेवानगर, थाना नन्दग्राम गाजियाबाद उम्र 30 वर्ष
8. अभिषेक पुत्र बबलू निवासी गली नं0-1, 40 फुटा आश्रम रोड़ थाना नन्दग्राम गाजियाबाद उम्र 26 वर्ष
9. सौरभ पुत्र विनोद निवासी गली नं0-7, सेवानगर थाना नन्दग्राम गाजियाबाद उम्र 26 वर्ष
10. अनिकेत पुत्र अजय निवासी गली नं0-10, सेवानगर थाना नन्दग्राम गाजियाबाद उम्र 21 वर्ष
11. आसिफ पुत्र अली मौहम्मद निवासी गली नं0-10, श्यामनगर थाना लिसाडी गेट मेरठ उम्र 38 वर्ष
12. निसार पुत्र फैज मौहम्मद निवासी हिण्डन विहार, थाना नन्दग्राम गाजियाबाद उम्र 42 वर्ष

बरामदगी का विवरणः-

1. 75,650 रुपये नगद
2. ताश के पत्तों की गड्डी

आपराधिक इतिहासः- उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना नन्दग्राम, कमिश्नरेट गाजियाबाद पर अभियोग अन्तर्गत धारा 13 सार्वजनिक जुआ अधिनियम पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम का विवरणः-

1. क्राइम ब्रान्च गाजियाबाद।

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम कमिश्नरेट गाजियाबाद।

अपराध शाखा गाजियाबाद द्वारा लॉरेंस विश्नोई के नाम पर जान से मारने की धमकी देने वाले शातिर अभियुक्त अंशु प्रजापति पुत्र देवराज प्रजापति निवासी अमौनी, भोया, थाना महाराजगंज, जनपद फैजाबाद उम्र 20 वर्ष गिरफ्तार।

- दिनांक 18.10.2026 को वादी श्री आरव शर्मा पुत्र संदीप शर्मा निवासी प्रताप विहार, विजयनगर, गाजियाबाद को उनके मोबाइल पर अज्ञात नम्बर द्वारा व्हाट्सअप पर ऑडियो मैसेज के माध्यम से अपने आप को लॉरेंस विश्नोई गैंग का सदस्य बताते हुए जान से मारने की धमकी दी गयी थी। जिसके सम्बन्ध में थाना विजय नगर पर अभियोग अन्तर्गत धारा 351(4) बी0एन0एस0 बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था।

- उक्त प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुए पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट गाजियाबाद महोदय द्वारा अपराध शाखा गाजियाबाद को घटना के शीघ्र अनावरण व अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया था।

- सर्विलांस सैल, अपराध शाखा द्वारा इलेक्ट्रोनिक साक्ष्यों की मदद द्वारा उक्त घटना में अभियुक्त अंशु प्रजापति पुत्र देवराज प्रजापति निवासी अमौनी, भोया, थाना महाराजगंज, जनपद फैजाबाद उम्र 20 वर्ष का नाम प्रकाश में आया ।

- उक्त सम्बन्ध में सर्विलांस सैल, अपराध शाखा व थाना विजयनगर पुलिस टीम द्वारा संयुक्त कार्यवाही करते हुए आज दिनांकः 27.10.2026 को अभियुक्त अंशु प्रजापति उपरोक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता अर्जित की है।

अभियुक्त का नाम व पता-

1. अंशु प्रजापति पुत्र देवराज प्रजापति निवासी अमौनी, भोया, थाना महाराजगंज, जनपद फैजाबाद उम्र 20 वर्ष।

पूछताछ का विवरण- पूछताछ पर बताया कि मैं अमौनी, भोया, थाना-महाराजगंज, फैजाबाद, उ0प्र0 का रहने वाला हूं, मेरी उम्र 20 वर्ष है। मेरे गांव का एक लडका गौतम लूमिक्स कम्पनी में पूणे महाराष्ट्र में काम करता है। वर्ष 2025 में, मैं उसके साथ काम करने के लिए पूणे गया था। तबसे मैं भी लूमिक्स कम्पनी में काम करता हूं। मैं, अपने दोस्त अमित, सौरभ और अमर के साथ पूणे में ही रहता हूं। इन्सट्राग्राम, फेसबुक व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफोर्म से जुडा हुआ हूं। सोशल मीडिया पर लॉरेंस विश्नोई गैंग से संबंधित रील्स व अन्य जानकारी से प्रभावित होकर मैंने अपने मोबाईल नं0-6359456805 पर व्हाट्सप का बिजनेस अकाउन्ट बना रखा है, जिसकी डीपी पर लॉरेंस विश्नोई का फोटो लगा रखा है तथा व्हाटसप विवरण में मैंने लॉरेंस विश्नोई गैंग लिखा हुआ है। मैं अक्सर नशे में अपने व्हाट्स नम्बर से सोशल मीडिया से नम्बर उठाकर लॉरेंश विश्नोई गैंग का सदस्य बनकर धमकी देता हूँ। मैंने दिनांकः 18.10.2026 को समय 22:21 बजे सोशल मीडिया की एक रील से प्राप्त नम्बर पर मैंने 02 वॉयस मैसेज भेजकर अपने-आप को लॉरेंस विश्नोई गैंग का सदस्य बताकर जान से मारने की धमकी दी थी।

गिरफ्तार अभियुक्त अंशु प्रजापति उपरोक्त से संबंधित अग्रिम विवेचनात्मक कार्यवाही थाना विजय नगर कमिश्नरेट गाजियाबाद से की जा रही है।

आपराधिक इतिहास-

1. अभियुक्त पर उपरोक्त प्रकरण में 01 अभियोग थाना विजयनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद पर पंजीकृत है।

बरामदगी का विवरण-

1. घटना में प्रयुक्त 01 मोबाइल रीयलमी सी-51

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. अपराध शाखा, कमिश्नरेट गाजियाबाद।
2. थाना विजयनगर पुलिस टीम, कमिश्नरेट गाजियाबाद।

स्वाट टीम ग्रामीण जोन व थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा हत्या के अभियोग में प्रकाश में आया वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद।

दिनांक 09.10.2026 को थाना मुरादनगर पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि अज्ञात व्यक्ति के द्वारा जान से मारने की नीयत से वादी के भतीजे पर धारदार हथियार से हमला करना व इलाज के दौरान जिसकी अस्पताल में मृत्यु हो जाना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मुरादनगर पर तत्काल सुसंगत धारा-103(1) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के अनावरण व अज्ञात अभियुक्त की तलाश/गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया। तत्पश्चात घटनास्थल के आसपास सीसीटीवी चेक किये गये, सीसीटीवी/सर्विलांस व अन्य साक्ष्यों की सहायता से घटना का सफल अनावरण किया गया।

आज दिनांक 27.10.2026 को थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर उपरोक्त अभियोग में प्रकाश में आये अभियुक्त समीर पुत्र यासीन निवासी नूरगंज मौहल्ला हुदा मस्जिद के पास कस्बा मुरादनगर को थाना मुरादनगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि कुछ दिन पहले मेरा एक व्यक्ति से झगड़ा हो गया था, झगड़े के दौरान मैंने उस व्यक्ति के सीने में चाकू मार दिया था जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी, मैंने उस चाकू को भागते हुए रास्ते में मोड के पास एक खाली प्लॉट में खडी झाडियों में फेंक दिया था, जिसे मैंने आपको बरामद करा दिया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

समीर पुत्र यासीन निवासी नूरगंज मौहल्ला हुदा मस्जिद के पास कस्बा मुरादनगर, उम्र करीब 24 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

कब्जे से हत्या में प्रयुक्त चाकू बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना मुरादनगर पर 01 अभियोग पंजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

स्वाट टीम ग्रामीण जोन व थाना मुरादनगर पुलिस टीम।

थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा हत्या के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 23.10.2026 को थाना लोनी पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्तगण 1. सोएब 2. सलमान पुत्र बेचेन 3. फिजु पुत्र कासिम 4. आजिम पुत्र रियासत निवासीगण चिरौडी थाना लोनी गाजियाबाद द्वारा वादी के भाई सोनू की गोली मारकर हत्या कर देना जिसके सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी पर तत्काल सुसंगत धारा-103(1) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया तथा सीसीटीवी कैमरों/मैनुअल इनपुट के आधार पर घटना में 01 बाल अपचारी का नाम

भी प्रकाश में आया व घटना के अनावरण हेतु लगातार प्रयास किये गये। तत्पश्चात थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा सर्विलांस व मैनुअल इन्पुट की मदद से हत्या की घटना का 24 घण्टे के अन्दर अनावरण करते हुये घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्तों 1.सलमान पुत्र बेचेन 2. शोएब पुत्र मोमीन को गिरफ्तार किया व प्रकाश में आये 01 बाल अपचारी को अभिरक्षा में लिया गया जिनके कब्जे से आलाकत्ल 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिंदा कारतूस .315 बोर व 01 मोटर साइकिल बिना नम्बर प्लेट बरामद। उपरोक्त अभियोग में धारा- 61(2) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट की बढोत्तरी की गयी तथा दिनांक 25.10.2026 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त आजिम पुत्र रियासत निवासी चिरौडी थाना लोनी गाजियाबाद को गिरफ्तार किया जिसके कब्जे से आलाकत्ल 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद किया गया।

आज दिनांक 27.10.2026 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त फैजू पुत्र कासिम निवासी चिरौडी थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 22 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ के दौरान अभियुक्त फैजू ने बताया कि मृतक सोनू पुत्र मुस्तकीम हमारे मित्र की बहन का कॉलेज से आते-जाते समय पीछा करता था, मना करने के बावजूद भी मानने को तैयार नहीं था और जान से मारने की धमकी देता था तथा मैंने और मेरे साथी सलमान, आजिम, शोएब व बाल अपचारी ने मिलकर सोनू को मारने की योजना बनाई थी। योजना के अनुसार शोएब ने सोनू को फोन कर अपनी दुकान पर बुलाकर बैठा लिया था तथा सलमान अपनी मोटरसाइकिल को लेकर आया, आजिम ने अपने दोस्त (बाल अपचारी) को बुलाया। हम लोग दुकान पर पहुंचे, बाल अपचारी मोटरसाइकिल चला रहा था सलमान और आजिम ने जान से मारने की नियत से सोनू पर फायरिंग की और हम सब मौके से फरार हो गये थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

फैजू पुत्र कासिम निवासी चिरौडी थाना लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 22 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में थाना लोनी पर 01 अभियोग पंजीकृत है, अन्य अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना लोनी पुलिस टीम।

थाना इन्दिरपुरम पुलिस टीम द्वारा हत्या के प्रयास के अभियोग में वाँछित अभियुक्त व अभियुक्ता गिरफ्तार। अभियुक्त/अभियुक्ता की निशांदेही से घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद।

कार्यवाही का विवरण: दिनांक 26.10.2026 को थाना इन्दिरापुरम पर वादी रीतेश कन्थरिया पुत्र श्री मैथली शरण कन्थरिया नि0 217 पुरानी पसरट गंधी घर टपरा झाँसी द्वारा लिखित तहरीर दी कि अभियुक्त 1. प्रताप सिंह (जिम ट्रेनर) 2. प्रिया शर्मा (पत्नी शशांक) द्वारा वादी के भाई के घर में घुसकर अपराधिक षडयंत्र के तहत जान से मारने की नियत से वादी के भाई शशांक को चाकू से गोद दिया है। तत्काल वादी की प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना इन्दिरापुरम पर धारा 109(1),61(2),333 बीएनएस में अभियोग पंजीकृत किया गया।

उच्चाधिकारीगणों के निर्देश मे अभियुक्त/अभियुक्ता की गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन किया गया। मैनुअल इनपुट व सीसीटीवी फटेज की मदद से तत्पश्चात आज दिनांक 27.10.2026 को थाना इन्दिरापुरम पुलिस द्वारा उपरोक्त घटना के अभियोग में वांछित अभियुक्त प्रताप सिंह पुत्र संजीव कुमार नि0 ग्राम बझेड़ी थाना झिझाना जिला शामली हाल निवासी सैक्टर 2 बी म0नं0 521 वसुन्धरा थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद उम्र करीब 31 वर्ष, व अभियुक्ता प्रिया शर्मा पत्नी शशांक कन्थरिया नि0 म0नं0 580 प्रथम प्लोर जागृति आरडब्लू ए सोसाइटी सैक्टर 1 वसुन्धरा थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद उम्र करीब 32 वर्ष को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त/अभियुक्ता की निशांदेही से घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद किया गया। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार अभियुक्त प्रताप सिंह उपरोक्त ने बताया कि मैं एक जिम ट्रेनर हूँ। जिम में महिला व पुरूष जिम करने आते है मैं उनको ट्रेनिंग देता हूँ। प्रिया शर्मा भी करीब 7-8 महीने से जिम करने आती थी। इसी दौरान मेरी व प्रिया शर्मा की दोस्ती हो गई हम दोनों आपस में शादी करना चाहते थे, प्रिया व उसका पति शशांक दोनो पोस्टल एकाउन्ट आफिस दिल्ली में सीनियर एकाउन्टेंट के पद पर नियुक्त थे। शशांक को हम दोनो के बारे में पता लग गया था। हम दोनो प्रतिदिन जिम में अपने व उसके फ्लैट पर मिलते थे और कभी कभी बाहर भी मिलने जाते थे किन्तु प्रिया के पति शशांक को हम दोनो को दूर करने के लिये दिवाली के बाद अपना फ्लैट चैंज करके कहीं दूसरी जगह जाने वाला था। दिनांक 25.10.2026 को प्रिया और मेरी सुबह रनिंग करते हुए जब हम मिले तो हमारी बातचीत हुई कि शशांक को रास्ते से हटा देते है। दिनांक 26.10.2026 को मैं सुबह प्रिया के पति शशांक की हत्या के इरादे से अपने फ्लैट से चाकू लेकर निकला और और प्रिया के घर की सोसाईटी के गेट पर पहुंचा उस समय प्रिया अपनी गाडी से अपने गेट से बाहर निकल रही थी। मैं सीधे प्रिया के घर में घुस गया गेट पहले से ही प्रिया ने खोल के रखा था। मैंने चाकू से शशांक को जान से मारने की नियत से लगातार बार शुरु कर दिये शशांक घायल अवस्था में शोर मचाने लगा। मैं उसे छोडकर भाग गया।

गिरफ्तार अभियुक्त/अभियुक्ता का नाम व पता–

1. प्रताप सिंह पुत्र संजीव कुमार नि0 ग्राम बझेड़ी थाना झिझाना जिला शामली हाल निवासी सैक्टर 2 बी म0न0 521 वसुन्धरा थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद उम्र करीब 31 वर्ष।
2. प्रिया शर्मा पत्नी शशांक कन्थरिया नि0 म0न0 580प्रथम प्लोर जागृति आरडब्लू ए सोसाइटी सैक्टर 1 वसुन्धरा थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद उम्र करीब 32 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्त/अभियुक्ता का आपराधिक इतिहास:-

गिरफ्तार अभियुक्त व अभियुक्ता के विरुध्द थाना इन्दिरापुरम पर उक्त प्रकरण के सम्बन्धित 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम।

स्वाट / सर्विलांस टीम ट्रांस हिंडन जोन व थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा वरिष्ठ अधिकारी के रुप में फर्जी पहचान बताकर रंगदारी मागने के अभियोग में 25000/- रु0 का इनामिया वाँछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 01.09.2026 को थाना इन्दिरापुरम पर वादी विकास मित्तल पुत्र स्व0 श्री विजय कुमार मित्तल निवासी इन्दिरापुरम गाजियाबाद द्वारा लिखित तहरीर दी कि अभियुक्त 1. अनिल प्रताप सिंह 2. अनिकेत सिंह उर्फ कबीर सिंह 3. सिद्धार्थ जैन 4. सलमान 5. अंकित द्विवेदी द्वारा वादी को वरिष्ठ अधिकारी के रुप में फर्जी पहचान बताकर वादी से रंगदारी मांग रहे है व वादी से 50 लाख रुपये राशि ले लेने के सम्बन्ध मे तहरीर दी । वादी की प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना इन्दिरापुरम पर तत्काल 308(4),308(6),204,115(2),351(2) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया। उच्चाधिकारीगणों के निर्देश में अभियुक्तगण उपरोक्त की गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन किया गया था। जिसके क्रम में 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

स्वाट / सर्विलांस टीम ट्रांस हिंडन जोन व थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा दिनांक 26.10.2026 को मुकदमा उपरोक्त में वांछित 25000/- रु0 का ईनामिया अभियुक्त सलमान पुत्र शौकत अली निवासी ड्ब्लू जैड 249 कबीर मंदिर के पास हरीनगर तिहाड़ गांव थाना हरीनगर वैस्ट दिल्ली उम्र करीब 32 वर्ष को 5-6 की पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार अभियुक्त सलमान उपरोक्त से पूछताछ करने पर बताया कि हमें एटूजैड फर्म से सम्बंधित एनआईए का नोटिस की जानकारी हुई थी उसी मामले में हम सभी लोगों ने मिलकर सैटलमैन्ट कराने के नाम पर योजना बनाकर हम लोगों ने फर्म मालिक/मुकदमा वादी को डरा धमकाकर तथा जेल भिजवाने के नाम पर मुकदमा वादी से नगद धनराशि हडप ली थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सलमान पुत्र शौकत अली निवासी ड्ब्लू जैड 249 कबीर मंदिर के पास हरीनगर तिहाड़ गांव थाना हरीनगर वैस्ट दिल्ली उम्र करीब 32 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

गिरफ्तार अभियुक्त सलमान उपरोक्त के विरुध्द थाना इन्दिरापुरम पर उक्त प्रकरण से सम्बन्धित 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम।

स्वाट / सर्विलांस टीम ट्रांस हिंडन जोन व थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम

ऑपरेशन प्रहार के अन्तर्गत थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा अवैध गांजा की तस्करी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से कुल 1 किलो 347 ग्राम अवैध गांजा व बिक्री के 1120/- रुपये नगद बरामद।

दिनांक 26.10.2026 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा ऑपरेशन प्रहार के तहत चैकिंग के दौरान अवैध गांजा की तस्करी करने वाला अभियुक्त सौरभ पुत्र बबलू निवासी निवासी 954 लाल क्वार्टर सुदामापुरी थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद मूल पता शिकलीगरों के सामने कूड़ा खत्ता के पास D ब्लॉक सुल्तानपुरी मंगोलपुरी दिल्ली उम्र 19 वर्ष को

बी आर इन्टरनेशनल स्कूल के सामने थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 1 किलो 347 ग्राम अवैध गांजा व गांजा की बिक्री के 1120/- रुपये नगद बरामद हुए। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर तत्काल धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया, अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर जुर्म को स्वीकार करते हुए बताया कि मैं दिल्ली से सस्ते दामो पर गांजा लेकर आता हूं तथा उसकी छोटी छोटी पुडिया बनाकर महंगे दामो पर लाल क्वाटर्स व सुदामापुरी के आस पास रहने वाले गांजा पीने वाले लोगो को गांजा बेच कर अच्छा मुनाफा कमा लेता हूं।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

सौरभ पुत्र बबलू निवासी निवासी 954 लाल क्वार्टर सुदामापुरी थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद मूल पता शिकलीगरों के सामने कूड़ा खत्ता के पास D ब्लॉक सुल्तानपुरी मंगोलपुरी दिल्ली उम्र 19 वर्ष।

बरामदगी का विवरण –

01 किलो 347 ग्राम अवैध गांजा।

गांजे की बिक्री के 1120/- रुपये नगद

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग –

अभियुक्त के विरुद्ध थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में NDPS ACT का 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर NDPS ACT से सम्बन्धित 01 अभियोग **कुल 02 अभियोग** पंजीकृत होना पाया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम।

थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा जुआ खेलने वाले 05 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 52 ताश के पत्ते व 3,110/- रुपये बरामद।

आज दिनांक 27.10.2026 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर राशिद नगर लक्ष्मी हाल के पास गली में खाली प्लाट लोनी से जुआ खेलते हुए 05 अभियुक्तगण 1. आमिर 2. इंतजार 3. गुलफाम 4. सुहेल 5. नदीम को गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से 52 ताश के पत्ते, एक रंगीन कपडा व माल फड से बरामद 1640/- रूपये नगद व जमा तलाशी से 1470 /- रुपये नगद (कुल 3,110/- रुपये) बरामद हुए। अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना लोनी पर तत्काल सुसंगत धारा- 13 जुआ अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तगण ने पूछताछ करने पर बताया कि हम लोग छिपकर जुआ खेलकर आर्थिक लाभ अर्जित करते हैं। आज हम राशिद नगर लक्ष्मी हाल के पास गली में खाली प्लाट लोनी में जुआ खेल रहे थे कि आपने पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम/पता -

1. आमिर पुत्र यामीन निवासी प्रेमनगर लोनी गाजियाबाद, उम्र 28 वर्ष
2. इंतजार पुत्र इस्लामुद्दीन निवासी प्रेम नगर लोनी गाजियाबाद, उम्र 49 वर्ष
3. गुलफाम पुत्र जफरयाब निवासी गौरी पट्टी जल्हा वाली मस्जिद के पास लोनी गाजियाबाद, उम्र 45 वर्ष

4. सुहेल पुत्र महबूब निवासी गली नं0-2 के सामने कोर्ट रोड देवी चौक, थाना बागपत कोतवाली, उम्र 18 वर्ष

5. नदीम पुत्र अयूब निवासी प्रेमनगर थाना लोनी गाजियाबाद, उम्र 25 वर्ष

बरामदगी का विवरण –

अभियुक्तगण के कब्जे से 52 ताश के पत्ते, एक रंगीन कपड़ा व माल फड से बरामद 1640/- रूपये नगद व जमा तलाशी से 1470 /- रुपये नगद (कुल 3110/- रुपये) बरामद हुए।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग –

अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना लोनी पर जुआ अधिनियम का 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

थाना लोनी पुलिस टीम।